अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेष–पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक तारीख.......................................................................................तक

जिला.............मधुबनी.........................संख्या– 03 सन् 2011–12

केश का प्रकार –एन0एच0एक्ट की धारा–3 जी(7) के तहत एन0एच0 57 चौड़ीकरण में मुआवजा भुगतान हेतु।

अर्जीकार–राजेन्द्र प्रसाद जिबराजिका

प्रतिपक्षी:– सरकार ( सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदा0 ) एवं परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0

| आदेष का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 20.8.18 | आवेदक राजेन्द्र प्रसाद पिता राम निरंजन प्रसाद जिवराजिका, ग्राम–अररिया संग्राम, थाना–झंझारपुर अंचल–झंझारपुर, जिला–मधुबनी ने एन0एच0ए0आई0नियम–3 जी–5 के अंतर्गत आवेदन दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–57 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा उनकी रैयती भूमि अर्जन की गई किन्तु व्यवशायिक का मुआवजा नहीं दिया गया। अतः आवेदक की अर्जित भूमि का पुनर्मूल्यांकन व्यवसायिक दर पर करने एवं सूद के साथ मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया जाय।<br>आवेदक के आवेदन पर सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी एवं परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0 से पक्ष प्राप्त किया गया।<br>सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–1468 / जि0भू0अ0 दिनांक–14.07.2017 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार एन0एच057 में 3 डी गजट 2006 के अनुसार अंचल–झंझारपुर, मौजा–अररिया संग्राम, खाता–... खेसरा–1635 रकवा–0.0205 हेक्टेयर अर्जन नहीं है।, उक्त अर्जित रकवा का किस्म का किस्म–कृषि एवं 3 डी गजट 2008 के अनुसार अर्जन नहीं है।, उक्त अर्जित रकवा का किस्म का स्थल जॉच कर अधियाची विभाग परियोजना निदेशक,एन0एच0ए0आई0दरभंगा द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव को कानूनगो द्वारा जॉच की गई है। तत्पश्चात् अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण कर खेसरा पंजी तैयार किया गया है, जिसका पुनः निरीक्षण कानूनगो एवं तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं उसमें प्राप्त आपत्तियों का भी विधिवत सुनवाई कर किस्म निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित खेसरा में भी उक्त सारी प्रकिया अपनाकर ही उस समय भमि का जो स्वरूप था, उसी के अनुरूप ही किस्म का निर्धारण किया गया है।<br>**निष्कर्ष:–**<br>आवेदक का आवेदन, एन0 एच0 ए0 आई0 का प्रत्युत्तर, सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि 3 D गजट के समय भूमि का जो स्वरूप था उसी के अनुरूप किस्म का निर्धारण किया गया है। किस्म परिवर्तन हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। सक्षम प्राधिकार को निदेशित किया जाता है कि इसकी पुनः जॉच कर ली जाय कि आवेदक को 3 डी गजट के अनुसार अर्जन के समय निर्धारित किस्म का मुआवजा भुगतान किया गया अथवा नहीं। **ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुये वाद की प्रकिया समाप्त किया जाता है।** आदेश की प्रति सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को भेजें।<br>आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।<br>लेखापित<br>20/8/18<br>मध्यस्थ पदाधिकारी–सह– अपर समाहर्ता, मधुबनी।      मध्यस्थ पदाधिकारी–सह अपर समाहर्ता, मधुबनी। | |

मध्यस्थ पदाधिकारी -सह- अपर समाहर्ता मधुबनी

मध्यस्थ पदाधिकारी -सह- अपर समाहर्ता मधुबनी